179

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0राजस्व मंण्डल ग्वालियर

कैम्प रीवा जिला रीवा म0प्र0

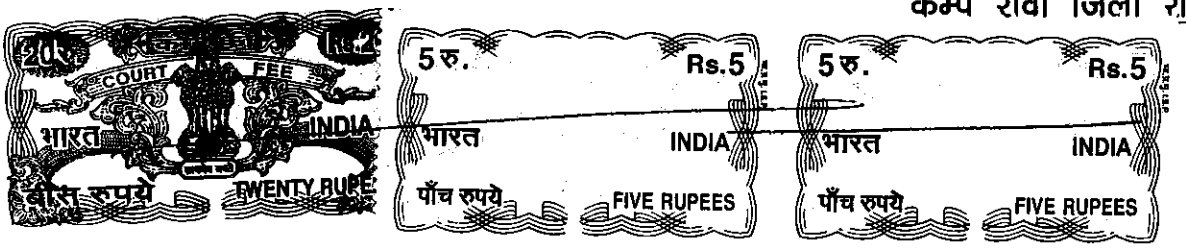

Rs-30/-

द्वारिका प्रसाद मिश्र पिता स्व0कौशल प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम दुबहाई कला,तहसील व थाना मनगंवा जिला रीवा म0प्र0

R 5155-II/17

..........निगरानीकर्ता/ आवेदक

बनाम

बालमीक प्रसाद मिश्र पिता स्व0श्री कौशल प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम दुबहाई कला,तहसील व थाना मनगंवा जिला रीवा म0प्र0

.....गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी बिरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील मनंगंवा जिला रीवा म0प्र0के राजस्व प्रकरण क्रमांक 16अ27/015-016 मे पारित आदेश दिनांक 27.03.017 के बिरूद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0के अधीन निगरानी

महोदय,

निगरानी के तथ्यः-

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक के द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 178/109/32 म0प्र0भू0रा0सं0का मौजा दुबहाई कला, प0ह0जोरौट,तहसील मनगंवा , जिला रीवा म0प्र0की भूमि की कुल 75 किता भूमियो का बटनवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, उन भूमियो के संबंध मे हल्का पटवारी के द्वारा अनावेदक के प्रभाव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5155–दो/17 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री पीयूषशील मिश्रा द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील मनंगवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 16/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.3.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक की आपत्ति निरस्त करने पर यह प्रकरण अंतिरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार के आदेश का अवलोकन किया आपत्तिकर्ता द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि आराजी न0 179, 225, 226, 255, 391 आराजियां स्वअर्जित हैं तथा यह आराजियां पुस्तैनी नहीं है। इसके अलावा पटवारी पुल्ली पर भी आपत्ति व्यक्त की गई है। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में सिविलवाद कमांक 341/94 समझौता दिनांक 26.7.03 का भी अवलोकन किया गया जिसमें राजीनामा निम्न आराजियों में 179, 225, 226, 255, 191/2 द्वारिका प्रसाद एवं वाल्मीकि प्रसाद के संयुक्त खाते का राजीनाम हुआ था जब सिविल न्यायालय में अनावेदक ने अपने नाम की आराजियों को आवेदक के हिस्से में भी जोडने पर राजी हुआ है। ऐसी स्थिति	

में सवतंत्र खाते के नाम भूमि पर आपत्ति लगाना उचित प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार द्वारा आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतएव तहसीलदार तहसील मनंगवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 16/अ–27/2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 27.3.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अवी)
सदस्य